

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय- साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा(छ.ग.)

फोन नं. 07759-221288 फैक्स नं. 07759-221929 पो.बाक्स नं.-12 पिन कोड-495677

Website : www.korbamunicipal.in

Email : Corporationkorba@gmail.com

प्रारूप-नौ

(देखिये नियम-11)

**कालोनी के विकास की अन्तिम अनुमति**

फा.क./11/49/भवन अनुज्ञा शाखा/2023

कोरबा,दिनांक .....

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (कालोनईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम 2013 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए कालोनईजर मेसर्स महालक्ष्मी बिल्डर्स एंव डेव्हलपर्स भागीदार श्री हेमन्त शर्मा एंव अन्य 03 को भूमि खसरा क्रमांक 15001 कुल रकबा 0.376 हेक्टेयर भूमि (0.93 एकड़ , 3768.4 वर्ग मीटर ) बुधवारी बाजार के पास गजानन साईं मंदिर के पीछे प.ह.नं0 16 रा.नि.मं0 एवं तहसील कोरबा जिला-कोरबा में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत विकास अनुज्ञा क्रमांक 1030 दिनांक 04.10.2023 अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए आवासीय प्रायोजन के भू-खण्डीय विकास को क्रियान्वित किये जाने की अन्तिम अनुमति प्रदान की जाती है।

1. शहरी भू सीमा अधिनियम 1976 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।  
छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा के शर्तों का पालन करना होगा।  
छ.ग. भू राजस्व सहिता 1959 के अंतर्गत भू-व्यपर्वतन की शर्तों का पालन करना होगा।  
कमजोर वर्ग के भू-खण्डों/ भवनों का विकास/निर्माण प्रथमतः करना होगा।  
उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में निहित शर्तों तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा दी गई अनापत्ति में निहित शर्तों का पालन करना होगा।
6. विकास कार्य पूर्ण करने के पश्चात् भू-खण्डों का व्ययन सक्षम अधिकारी से विक्रय अनुमति लेने के पश्चात करेंगे।
7. रेन वाटर हारवेस्टिंग एवं वाटर रिचार्ज इत्यादि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
8. अग्नि शमन संयंत्र हेतु प्रावधान रखना होगा।
9. सौर ऊर्जा से संचालित गर्म जल संयंत्र एवं सौर ऊर्जा से संचालित सोलर लाईट लगाना अनिवार्य होगा।
10. आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने हेतु कुल 16 भू-खण्डों में से 02 भू-खण्ड क्रमांक 05 एवं 16 नगर पालिक निगम में बंधक रखा गया है। आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तथा बंधक मुक्त होन के पश्चात ही विक्रय करना होगा।
11. निम्न आय वर्ग के विक्रय हेतु भू-खण्ड क्रमांक 07 एवं 07 ए आरक्षित रखा गया है।

M/S. MAHALAXMI BUILDERS

DEVELOPERS

PARTNER

भयल अश्विनी,  
भवन अधिकारी  
नगर पालिक निगम,  
कोरबा (छत्तीसगढ़)